आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भगवान सिंह बनाम रतन सिंह वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम,
प्रकरण संख्या 395/2022 (केकड़ी)

अंशिक स्वीकार निगरा
12/12/2022

श्री शहाबुद्दीन खान एड श्री

भगवान सिंह बनाम रतन सिंह वगैरह (395/2022)

09.12.2022 यह अपील श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 151/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12.12.2022 पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अप्रार्थी/अपीलांट की सुनवाई किये ही आदेश पारित किये जबकि अपीलांट विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं को पाबंद किया है। बिना सुनवाई अन्तरिम आदेश पारित किये जाने की जानकारी नही हो सकी तथा जानकारी होने पर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गई प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषप्रद होने से तथा गुणागुण पर प्रकरण का निस्तारण करना न्यायहित में उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212राज. काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 19.09.2022 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 401 खसरा नम्बर 1777/3062, 1778/3063, 1179, 1780, 1787, 1783, 1788/3109, 1786/3434, 1789/3435 रकबा 2.11 है0 भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस की सयुक्त भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा पर संयुक्त कब्जा काश्त है जो कि ग्राम बूढानी तहसील अजमेर में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, अपीलांट के संयुक्त भूमि व कुएँ का उपयोग–उपभोग में अवरोध उत्पन्न करते है। अपीलांट के हक व हिस्से का उपयोग करने, सिंचाई करने में व्यवधान उत्पन्न करते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भगवान सिंह बनाम रतन सिंह वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम,
प्रकरण संख्या 395/2022 (केकड़ी)

रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे कथनो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है कर अन्तरिम स्थगन प्राप्त किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2022 की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजी के उपयोग में अपीलांट/प्रार्थी को वंचित किया जा रहा है जिससे उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 19.09.2022 की पालना व प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 को अपीलांट के कब्जे काश्त व सिंचाई में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावें एवं अपीलांट के 1/4 हक हिस्से को स्थगन मुक्त करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र/अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सीधे ही यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट को अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए थी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील 0आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2023 को उपस्थित होने हेतु पावंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक अपील प्राधिकारी
अजमेर